श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न दिनांक- 16.02.2016 (मंगलवार) को हुई वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही के सामान्य बिन्दु:-

1. **इंदिरा आवास योजना**

➢ वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिन जिलों में आवास स्वीकृत नहीं कराये गये है उन्हें अविलम्व स्वीकृत कराया जाय।

➢ सभी जिलों के द्वितीय किस्त के प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी प्रदान की गई ।

➢ 1,78,411 FTO निर्गत किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई । वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के FTO निर्माण में तेजी लाने हेतु जिले के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया ।

➢ जानकारी दी गई कि बैंक में 4000 लाभूकों का FTO भुगतान हेतु लंबित है । इस संबंध में नोडल बैंक (Bank of India) के साथ सप्ताहिक बैठक कर राशि अंतरण में आ रही समस्याओं का निराकरण करने का निदेश दिया गया।

➢ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिलों को सुयोग्य लाभूकों से प्राप्त आवेदन के अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय ।

➢ वित्तीय वर्ष- 2010-11 एवं उससे पूर्व में स्वीकृत किये गये इंदिरा आवास के लाभार्थियों से संबंधित सूचनाएँ को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्थित NIC से कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी)

2. **मनरेगा**

➢ भुगतान में विलम्ब में कमी लाने हेतु सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजे जाने का निदेश दिया गया । साथ ही निर्गत किये गये मस्टर रॉल के विरूद्ध भरे गये मस्टर रॉल के प्रतिशत में वृद्धि तथा कार्यपूर्णता में प्रगति लाने हेतु जिलों के साथ सतत् अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया ।

➢ प्रतिदिन 3.50 लाख मानव दिवस सृजन करने की जानकारी प्रदान की गई ।

➢ 29 जिलों से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की जानकारी प्रदान की गई । 9 जिले यथा बक्सर, जमुई, खगडिया, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, सीवान, वैशाली एवं प0 चम्पारण से मनरेगा अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने की जानकारी दी गई । उपर्युक्त सभी जिलों से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी, मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक)

3. CAG Reports/PAC Paras

➢ CAG Reports/PAC Paras से संबंधित लंवित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु समीक्षा विशेष सचिव के माध्यम से किये जाने का पुन: निदेश दिया गया ।

अनुपालन - प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव एवं विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी)

4. **Court Cases**

- सभी कोर्ट केस की इंट्री IWDMS पर अपलोड किये जाने की जानकारी प्रदान की गई ।
- लंबित कोर्ट केस (MJC/CWJC) से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।
- SGRY खाद्यान घोटले में माननीय उच्च न्यायालय गठित आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ एवं वांछित कागजातों/प्रतिवेदनों को अविलम्व उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि CAG Report की प्रति एवं PDS डिलर्स एवं उक्त अवधि में पदस्थापित विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों की सूची आयोग को आज ही उपलब्ध करा दें ।

(अनुपालन -संजय कुमार सिंह, उप सचिव)

5. **IWDMS/e-office**

- एक अप्रैल 2016 से विभाग में **e- office** लागू कराने हेतु आई0डी0 एवं पासवर्ड के निर्माण हेतु आई0टी0 विभाग को पत्र दिये जाने के संबंध में जानकारी दी गई ।
- **e- office** हेतु संचिकाओं के उपस्थापन के लिए Templates के निर्माण में आ रही समस्याओं पर चर्चा हेतु दिनांक- 17.02.2016 को अधोहस्ताक्षरी के साथ विमर्श किये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, सरोज कुमार, IT Director एवं सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर)

6. **विधान सभा/विधान मंडल से संबंधित प्रश्न**

- सभी लंबित मामलों की समीक्षा विशेष सचिव की स्तर से अविलम्व किये जाने हेतु पुन: निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव एवं विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी)

7. **स्थापना**

- स्थापना से संबंधित सभी मामलों को निष्पादित किये जाने की जानकारी दी गई ।
- आई0टी0 भवनों के निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रगति की जानकारी दिये जाने का निदेश दिया गया ।
- प्रखंड विकास पदाधिकारियों के रिक्ति के संबंध में भी अद्यतन प्रतिवेदन दिये जाने का निदेश दिया गया ।
- सभी प्रशाखा पदाधिकारी 09:45 पूर्वा0 में अपने-अपने प्रशाखा के उपस्थिति पंजी कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी को हस्तगत करा देगें । उसके बाद आने वाले कर्मियों को नियामनुसार अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन दिये जाने का निदेश दिया गया एवं दो बार से अधिक

अनुपस्थित होने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया ।

(अनुपालन - राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी, विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी, मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं जगदीश चौधरी, अवर सचिव)

8 BISPS/BRDS

- पूर्व में एक टीम का गठन कर यादृच्छिक रूप से 5 प्रखंडों का चयन कर उनके लेखा संबंधी सभी आकड़ों की जॉच कराकर General Cash Book के अंतिम पृष्ठ की फोटो कॉपी उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में एक Presentation/Write-up प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था । इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का पुन: निदेश दिया गया ।
- रेड क्रॉस भवन में BRDS कार्यालय को शिफ्ट करने में आ रही कठिनाईयों के संबंध में के संबंध में कार्यपालक अभियंता से जानकारी प्राप्त की गई । निदेश दिया गया कि BRDS से संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ दिनांक- 17.02.2016 को इस विषय पर विमर्श किया जायेगा ।

(अनुपालन - सी0पी0 खंडुजा, निदेशक सामाजिक वानिकी, चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक)

9. **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं IPPE II**

- Non-IPPE Blocks के सर्वेक्षित डाटा की इंट्री को खुलवाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया ।
- GPDP के प्रपत्र F एवं G की डाटा इंट्री कराने हेतु NIC द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की जानकारी सभी जिलो को देने हेतु VC आयोजित करने का निदेश दिया गया ।
- सभी जिलों से इस कार्य का सतत अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी, शुभेन्द्र सान्याल, UNDP Consultant एवं सरोज कुमार, IT Director)

16/2/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक 262/38 पटना दिनांक 17/02/2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/2/2016

सचिव